



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 पौष 1942 (श०)
(सं० पटना 24) पटना बुधवार 6 जनवरी 2021

सं० 27/आरोप-01-34/2019/12471/सा०प्र०
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

23 दिसम्बर 2020

श्री कुमार मिथिलेश प्रसाद सिंह, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक 1018/2011, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर सम्प्रति निलंबित के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अवमाननावाद की स्थिति उत्पन्न करने, सरकार के नाम से दर्ज जमाबंदी की भूमि को गैर सरकारी व्यक्तियों के नाम जमाबंदी दर्ज करने, सरकार के हित के प्रतिकूल कार्य करने, पद का दुरुपयोग करने, दाखिल खारिज अधिनियम के प्रतिकूल आदेश पारित करते हुए दर्ज जमाबंदियों को रद्द करने, अधिकार क्षेत्र के प्रतिकूल जाकर कार्य करने, सरकारी भूमि के गबन में सहयोग करते हुए गैर सरकारी व्यक्तियों के हित में कार्य करने, सरकार के हित के संदर्भ में पूर्णतः अवगत होने के बाद भी विविध वाद सं०-03/2016-17 में दिनांक-28.05.2016 को सरकार के हित के प्रतिकूल आदेश पारित करने का आरोप आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक 661 दिनांक 28.08.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया।

2. प्रतिवेदित आरोप के आलोक में विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

3. विभागीय पत्रांक-13424 दिनांक-08.10.2018 एवं पत्रांक-6551 दिनांक-16.05.2019 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री सिंह के आवेदन दिनांक-27.05.2019 द्वारा विभाग को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

4. विभागीय पत्रांक-8121 दिनांक-19.06.2019 द्वारा संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार-सह-प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, पटना प्रमंडल, पटना से श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण पर मंतव्य की मांग की गयी।

5. आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण की सम्यक समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत श्री सिंह के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए तथा मामला भू राजस्व से संबंधित होने के कारण प्रस्तुत मामले की गहन जांच के लिये अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मामले की विस्तृत जांच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17(2) के प्रावधानों के तहत श्री सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

6. श्री सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही में संयुक्त आयुक्त, विभागीय जांच, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा नामित किसी वरीय पदाधिकारी होंगे।

7. श्री सिंह से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दें उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राम शंकर,

सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 24-571+10-डी0टी0पी0

Website: <http://egazette.bih.nic.in>